

मालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

बनाम

मुकदमा

मु. नं.

वर्ष

नांक

आज्ञा-पत्र

13/04/19 वक़्तुलम कर्दीकी का कर 1000 रु 1982-83 का  
 कर्ता कर का विषय (कर) है जिसका  
 कर 1000 रु 1981-82 के लिए है

19/8/19 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्तु वदस पुत्र 12/11/19 को पेश की 14/19

12/9/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी उपस्थित

पत्रावली अंतिम वदस के स्तर पर है। वकील वादी ने अन्वयत करवाया  
 कराया कि प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु 2015 में हुई है, जिसका आवेदन  
 कायम मुकाम दौरे में 27/4/15 को पेश किया गया था। लेकिन  
 T.I. की पत्रावली में कायम मुकाम का आवेदन पेश नहीं किया।  
 दौरे में कायम मुकाम का पार्श्वना पत्र स्वीकार किया जाकर आज  
 दिनांक को संशोधित शीर्षक पेश किया जा चुका है। T.I. की  
 पत्रावली में भी अनिवार्य रूप से कायम मुकाम का आवेदन  
 तत्समय ही पेश किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।  
 C.P.C. में प्रावधानानुसार मृत्यु के 90 दिन या जानबारी होने  
 के 90 दिन के अंदर कायम मुकाम का आवेदन वादी  
 को पेश करना अनिवार्य है, जो कि उक्त पत्रावली में पेश  
 नहीं किया गया। अतः निर्धारित अवधि में कायम मुकाम का  
 आवेदन पेश नहीं करने के कारण पत्रावली इसी स्तर  
 पर ड्राप की जाती है।

पत्रावली फ़ैसल नुम्बर होकर नम्बर से

कम है तथा वारिफल दफ्तर है)

14/19

उपस्थित अधिकारी धोद मु. सीकर